

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रादी
रामकिशोर

बनाम

प्रतिवादीगण
मांगीलाल वगैरह

करण : राजस्व वाद

मुकदमा नं.43..../2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
14.06.2020	<p>यह वाद अधीन धारा 53, 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.07.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (एस. डी. एम.) जायल (नागौर)</p>	
8-7-20	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वारी उपर वकील वारी ने एड वार्डिंग पर दायत वाद को जरिये विशेष खारिज करने बाबत पेश किया। फावली का इक्वलाइज किया। दायत प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं किया है। वकील वारी का वार्डिंग पर जरिये विशेष खारिज बाबत लीकार किया जाता है। वाद जरिये विशेष खारिज किया जाता है। एक्व इफेक्ट नम्बर 8 कम देकर शकिल शकल है।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (एस. डी. एम.) जायल (नागौर)</p>	<p><i>m. w</i></p> <p style="text-align: right;">रामकिशोर</p>